

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 1337 / 2015

संस्थापन दिनांक 22.12.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—नरेन्द्र पुत्र चरनसिंह उम्र 40 साल
 - 2—जितेन्द्रसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह पंजाबी उम्र 35 साल
 - 3—जोगी उर्फ हरेन्द्रसिंह पुत्र टीटू सरदार उम्र 22 साल
- निवासीगण ग्राम चकशेरपुर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 341, 294, 323/34 भा.द.स., धारा 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विकल्प में विचारणीय धारा 324/34 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 29.07.15 को 16:00 बजे आम रोड गुरुदेव सिंह के मकान के सामने चकशेरपुर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में बलविन्दर अ0सा02 व देवेन्द्र अ0सा01 को धक्का देकर टैक्टर से काटने के उपकरण के रूप में चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.07.15 को फरियादी देवेन्द्र अ0सा01 टैक्टर लेकर खेत जोतने जा रहा था तब रास्ते में आरोपी जोगी उर्फ हरेन्द्र व जितेन्द्र ने पुरानी रंजिश पर रास्ता रोककर उसे गालियां दीं और रास्ते से निकलने को कहा मना करने पर आरोपीगण ने मारपीट शुरू कर दी। जितेन्द्र ने देवेन्द्र अ0सा01 को टैक्टर से उतार दिया और जोगी व नरेन्द्र ने टैक्टर की तोड़फोड़ शुरू कर दी जोगी ने देवेन्द्र अ0सा01 के लाठी मारी

जो दाहिने हाथ की कलाई में लगी जितेन्द्र ने धक्का देकर गिरा दिया वह चिल्लाया तो बलविन्द अ0सा02 और परमजीत अ0सा04 आ गये जिन्होंने बीच बचाव की कोशिश की तो जितेन्द्र ने बलविन्दर अ0सा02 को बाल पकड़कर टैक्टर में माथा पटक दिया जिससे चोट होकर खून निकल आया। नरेन्द्र ने परमजीत अ0सा04 को धक्का देकर टैक्टर पर गिरा दिया जिससे दाहिनी आंख व नाक पर चोट आई। जोगी ने बलविन्दर अ0सा02 को धक्का दिया जिससे दाहिने हाथ में चोट आई आवाज नकर कालीचरण व गुरुदेव आ गये जाते समय आरोपीगण ने रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। तत्पश्चात फरियादी देवेन्द्रसिंह अ0सा01 ने थाना एण्डोरी में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर से अप0क्र0 94/15 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या दिनांक 29.07.15 को 16:00 बजे आम रोड गुरुदेव सिंह के मकान के सामने चकशेरपुर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में बलविन्दर अ0सा02 व देवेन्द्र अ0सा01 को धक्का देकर टैक्टर से काटने के उपकरण के रूप में चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष //

5. देवेन्द्र अ0सा01 ने कथन किया है कि आरोपीगण से रास्ते को लेकर मुंहवाद हो गया था तब उन्होंने टैक्टर की तोड़फोड़ कर दी थी। वह टैक्टर धकेलकर ले जा रहा था तब उसे चोट आई। उसके साथ बलविन्दर अ0सा02 भी था तत्पश्चात उसने थाने पर जाकर रिपोर्ट प्र0पी-1 की थी फिर पुलिस ने मौके पर आकर नक्शामौका प्र0पी-2 की लिखापट्टी की थी जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बलविन्दर अ0सा02 और परमजीत अ0सा04 ने भी देवेन्द्र अ0सा01 के उक्त कथन का समर्थन किया है कि आरोपीगण ने टैक्टर तोड़ दिया था और जब देवेन्द्र अ0सा01 धकेलकर ले जा रहे थे तब उन्हें चोटें आईं और परमजीत अ0सा04 ने बताया है कि उसे बीच बचाव करने में गिरने से चोटें आई थीं।
6. उपरोक्त तीनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त तीनों ही साक्षीगण ने इंकार किया है कि आरोपीगण ने देवेन्द्र अ0सा01 व बलविन्दर अ0सा02 का माथा टैक्टर पर पटक दिया था और मारपीट की थी इस आशय का तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर पुलिस कथन क्रमशः प्र0पी-3 व प्र0पी-4 और प्र0पी-8 में दिए जाने से इंकार किया है।
7. साक्षी डॉ० धीरज गुप्ता अ0सा03 ने कथन किया है कि दिनांक 29.07.15 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए आरक्षक महेन्द्रसिंह द्वारा लाये जाने पर बलविन्दर अ0सा02 का चिकित्सीय परीक्षण

किया था जिसमें दांये फ्रंटल भाग पर 2गुणा0.1गुणा0.1 सेमी0 का सुपरफीशियल कटा घाव था जो कठोर व धारदार वस्तु से परीक्षण के 6 घण्टे के भीतर आना प्रतीत होता था जो सामान्य प्रकृति का था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी-6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आहत दवेन्द्र अ0सा01 का चिकित्सीय परीक्षण किया था जिसमें चोट क्रमांक 1 बांयी कोहनी से दांये अग्र हाथ तक 2गुणा0.1गुणा0.2 से.मी. सुपरफीशियल कटा घाव व चोट क्रमांक 2 बांये अग्र हाथ में 2गुणा0.1गुणा0.1 से.मी. सुपरफीशियल कटा घाव पाया था जो कठोर व धारदार वस्तु से परीक्षण से 6 घण्टे के अंदर आना प्रतीत होता था उसकी रिपोर्ट प्र0पी-7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. अतः सभी प्रत्यक्ष आहत साक्षीगण द्वारा उन्हें घटना में टैक्टर से चोट पहुंचाये जाने से इंकार किया गया है। चिकित्सक डॉ0 धीरज अ0सा03 द्वारा संपुष्टिकारक साक्ष्य दी गयी है लेकिन प्रत्यक्ष साक्षीगण ने ही टैक्टर से स्वयं को चोट पहुंचाये जाने से इंकार किया है। आहत साक्षीगण महत्वपूर्ण साक्षी हैं। परन्तु उनके द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 29.07.15 को 16:00 बजे आम रोड गुरुदेव सिंह के मकान के सामने चकशेरपुर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में बलविन्दर अ0सा02 व देवेन्द्र अ0सा01 को धक्का देकर टैक्टर से काटने के उपकरण के रूप में चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की।
9. परिणामतः आरोपीगण को विकल्प में धारा 324/34 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
10. आरोपीगण के मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0